हरिद्वार विकास प्राधिकरण,

हरिद्वार

की

25वीं बोर्ड बैठक

दिनांक 07.02.1998

सचिव,
हरिद्वार विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार ।

सेवामें,

1- सचिव, आवास उ0प्र0शासन,लखनऊ ।
2- सचिव वित्त विभाग उ0प्र0शासन, लखनऊ ।
3- सचिव उत्तराखण्ड विभाग, उ0प्र0शासन,लखनऊ ।
4- जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार ।
5- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, 7-बन्दरिया बाग उ0प्र0लखनऊ ।
6-अधीक्षण अभियन्ता प्रथम मण्डल उ.प्र.जल निगम मेरठ(प्रबन्ध निदेशक उ.प्र.जल निगम के नामित सदस्य)
7- प्रमुख अभियन्ता लो.नि.वि.उ0प्र0 लखनऊ ।
8- अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद हरिद्वार ।
9- अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद,ऋषिकेश ।
10- अध्यक्ष, नगरपंचायत रानीपुर, हरिद्वार ।
11- अध्यक्ष, नगर पंचायत मुनि की रेती, टिहरी-गढ़वाल ।

संख्या: 2787 प्रशा0-2(ग)-1-6/97 दिनांक, 28 जनवरी, 1998

विषय: हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की 25वीं बोर्ड बैठक दि0 07-02-98 के सन्दर्भ में ।

महोदय,

हरिद्वार विकास प्राधिकरण की 25वीं बोर्ड बैठक आयुक्त/अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में दि0 07-02-98 को पूर्वान्ह 11.00 बजे हरिद्वार विकास प्राधिकरण के सभागार में आहूत की गयी है। बैठक का एजेण्डा एवं एजेण्डा नोट्स पत्र के साथ अवलोकनार्थ संलग्न है ।

आपसे अनुरोध है कि कृपया बैठक में भाग लेने की कृपा करें ।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार,

भवदीय

(राजकुमार सिंह)
सचिव

हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार की 25वीं बोर्ड बैठक दिनाँक 7-2-98 की उपस्थिति--

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	पदनाम	विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री सुभाष कुमार	आयुक्त/अध्यक्ष		[illegible]
2-	श्री जे०पी०शर्मा	उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण		[illegible]
3-	ए. के. गुप्ता	अधीक्षण अभियंता जल निगम मेरठ		[illegible]
4-	एम पी अरोड़ा	वरिष्ठ नियोजक, न. एवं ग्रा. नि. विभाग, लखनऊ		[illegible]
5-	एस० बी० सौढ़ी	संयुक्त निदेशक कोषागार, मेरठ		[illegible]
6-	स्नेहलता शर्मा	अध्यक्ष न० पा० ऋषिकेश		Smh
7-	उत्तम सिंह राणा	" न० पंचायत मुनिकीरेती, टि०ग०		[illegible]
8-	आशीष कुमार गोयल	ज्वाइंट मजि० हरिद्वार/ अध्यक्ष न. प. रानीपुर		[illegible]
9-	आर० पी० सिंह	जिलाधिकारी, हरिद्वार।		[illegible]
10-	राजकुमार [illegible]	अध्यक्ष नगरपालिका [illegible]		[illegible]
11-	जी० एम० [illegible]	अधीक्षण अभियन्ता लो० नि० वि० [illegible] (प्रमुख अभि० लो० नि० वि० प्रतिनिधि)		[illegible]
12-				
13-				
14-				
15-				
16-				

प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 07-02-98 की एजेण्डा सूची

क.सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
1	विगत बोर्ड बैठक दि0 22-8-97 की कार्यवाही की पुष्टि ।	1
2	विगत बैठक दि0 22-8-97 में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन ।	2 से 6 तक
3	बजट प्रस्तावित वर्ष 1997-98	7
4	सन्त रघुवीर सिंह जी महाराज गुरूद्वारा निर्मल सन्तपुरा ट्रस्ट कनखल द्वारा प्रस्तुत मानचित्र सं0-149/97	8
5	विकास एवं भवन अनुज्ञा तथा पर्यवेक्षण योजना तैयार हेतु तकनीकी व्यक्तियों को लाईसेन्स/नवीनीकरण शुल्क पर पुनर्विचार ।	9
6	अखिल भारतीय अखाडा परिषद द्वारा भूपतवाला क्षेत्र में प्रस्तावित महायोजना भू-उपयोग पर प्राप्त आपत्ति के सम्बन्ध में ।	10
7	वाहन चालकों के पद सृजन विषयक ।	11
8	अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ।	

हरिद्वार विकास प्राधिकरण की पच्चीसवीं बोर्ड बैठक
दिनाँक ०७–०२–९८ का कार्यवृत्त

दिनाँक ७–०२–९८ को हरिद्वार विकास प्राधिकरण की पच्चीसवीं बोर्ड बैठक अध्यक्ष/आयुक्त, सहारनपुर मण्डल की अध्यक्षता में आयोजित की गयी।

बैठक में उपस्थिति संलग्नक के अनुसार रही।

सामान्य : –

हरिद्वार विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा उपस्थित सदस्यों का बैठक में स्वागत किया गया। उपाध्यक्ष, ह०वि०प्रा० द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि विकास प्राधिकरण के निवर्तमान अध्यक्ष/आयुक्त, सहारनपुर मण्डल श्री नागेश्वर नाथ उपाध्याय की सेवाओं की सराहना करते हुए प्राधिकरण द्वारा उनका धन्यवाद ज्ञापन किया जाये। सभी सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया तथा निवर्तमान अध्यक्ष श्री नागेश्वर नाथ उपाध्याय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए वर्तमान अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार, आयुक्त सहारनपुर मण्डल का स्वागत किया गया।

इसके उपरान्त बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रारम्भ की गयी जिसका विवरण निम्नवत् है : –

मद संख्या (१):– विगत बोर्ड बैठक दिनाँक २८–८–९७ की कार्यवाही की पुष्टि : –

प्राधिकरण की विगत बैठक २२–०८–९७ को आयोजित की गयी थी। बैठक की कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई अतः सर्वसम्मति से विगत बैठक दिनाँक २२–०८–९७ के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी। एजेन्डा नोट में विगत बैठक की कार्यवाही अभिलिखित करते समय जिस त्रुटि का उल्लेख किया गया है आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि दिनाँक २२–०८–९७ की बैठक के मद संख्या ५ में निम्न संशोधन कर दिया जाये। दिनाँक २२–०८–९७ की बैठक में मद संख्या ५ में निम्न उल्लेख त्रुटिवश अंकित हो गया था।

"इस प्रकरण पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि देय ब्याज में छूट प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात् इस प्रकरण को प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।"

निर्देश दिये गये कि उक्त के स्थान पर बैठक की कार्यवाही में निम्नवत् उल्लेख किया जाये : –

"इस प्रकरण पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि देय ब्याज में छूट के सम्बन्ध में अन्य प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करके आगामी बैठक में इस प्रकरण को पुनः प्रस्तुत किया जाये।"

(सचिव) (उपाध्यक्ष) (अध्यक्ष)

मद संख्या 25.01 ::

विषय विगत बोर्ड बैठक दिनांक 22-8-97 की कार्यवाही की पुष्टि ।

प्राधिकरण की विगत बोर्ड बैठक दि0 22-8-97 को सम्पन्न हुई थी । बैठक की कार्यवाही प्राधिकरण के सभी माननीय सदस्यों एवं पदाधिकारियों को इस कार्यालय के पत्र सं0-2136 दि0 10-11-97 द्वारा प्रेपित की गयी किसी भी सदस्य/अधिकारी द्वारा कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/सुझाव प्रेपित नहीं किया गया है ।

इसके अतिरिक्त मद सं0-5 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि ब्याज में छूट के सम्बन्ध में अन्य विकास प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात प्रकरण को प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये । त्रुटिवश विगत बैठक की कार्यवाही में मद सं0-5 के अन्तर्गत यह निर्णय निम्नवत टंकित हो गया है ।

"इस प्रकरण पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि देय ब्याज में छूट प्राप्त कर ली जाय तत्पश्चात् इस प्रकरण को प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय ।"

अतः मद सं0-5 पर लिये गये निर्णय को उपर्युक्तानुसार संशोधित करते हुए विगत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

मद संख्या (२):– विगत बोर्ड बैठक दिनाँक २८–८–६७ में लिये गये निर्णयों का कार्यान्वयन : –

विगत बैठक के निर्णयों के कार्यान्वयन/अनुपालन के सम्बन्ध में सचिव द्वारा अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गयी। अनुपालन के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये : –

१. ऋषिकेश/मुनि–की–रेती क्षेत्र की महायोजना पर आपत्तियों की सुनवाई के लिए समिति का गठन किया जा चुका है। जिन अधिकारियों ने इस समिति के लिए प्रतिनिधि नामित नहीं किया गया हैं उनसे प्रतिनिधि नामित करा लिया जाये तथा लोकसभा चुनाव के बाद समिति द्वारा आपत्तियों पर सुनवाई की जाये।

२. ग्राम हरिपुर कलाँ (जिला देहरादून) के खसरा संख्या ७८१/७८४ तथा ३४० नया गाटा संख्या ७८५ (क) का भू–उपयोग पार्क/खुला क्षेत्र प्रदर्शित है। इसका भू–उपयोग आवासीय करने के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा गठित समिति की सुनवाई से पूर्व इस प्रकरण को शासन को सन्दर्भित कर दिया जायेगा।

३. हरिद्वार महायोजना भाग अ की विसंगतियों के सम्बन्ध में पूर्व बैठक में नई बस्ती, खड़खड़ी, शांतिकुज के निकट बस–स्टैंड तथा विकास कालोनी के भू–उपयोग में परिवर्तन प्रस्तावित किया गया था। इस पर भू–उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय २२–०८–६७ की बैठक में लिया गया था। इस निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया कि मुख्य ग्राम नियोजक के प्रतिनिधि श्री एम०पी०.अनेजा द्वारा परीक्षण के उपरान्त यह प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाये।

४. विगत् बैठक में कुछ सरकारी विभागों द्वारा आरोपित शमन शुल्क पर देय ब्याज में छूट सम्बन्धी कुछ मामले प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में रखे गये थे। पुनर्विचार के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सरकारी विभागों पर आरोपित शमन शुल्क के इन प्रकरणों में देय ब्याज पर कोई छूट प्रदान न की जाये।

५. दिनाँक ०२–०८–६६ की बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया था कि डिमान्ड सर्वे के आधार पर यदि भवन निर्माण की आवश्यकता होती है तो प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करके आवश्यकतानुसार भवनों का निर्माण कराया जा सकता है। इस निर्णय पर विचार–विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि प्राप्त रजिस्ट्रेशन्स की संख्या को आधार मानकर प्राधिकरण द्वारा भवनों का निर्माण कराया जाये।

७. विगत बोर्ड बैठक दिनाँक ०२–०८–६६ में प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित विकास शुल्क/फीस की दरों का पुर्ननिर्धारण किया गया था जिसकी अनुमति प्राधिकरण द्वारा प्रदान कर दी गयी थी।

(सचिव) (उपाध्यक्ष) (अध्यक्ष)

मद संख्या 25.02

विषय विगत बोर्ड बैठक दि0 22-8-97 में लिये गये निर्णयों का कियान्वयन

क.सं.	विपय	निर्णय	अनुपालन
1	ऋपिकेश मुनि की रेती क्षेत्र की महायोजना पर आपत्ति सुझावों पर सुनवाई ।	विगत बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि प्राप्त 70 आपत्ति सुझावों पर गठित समिति द्वारा सुनवाई कर ली जाय तथा अपनी संस्तुति/आख्या आगामी बोर्ड बैठक के समक्ष प्रस्तुत की जाय ।	प्राधिकरण द्वारा गठित समिति में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उ0प्र0 तथा जिलाधिकारी देहरादून, टिहरी गढवाल तथा पौडी को अपने प्रतिनिधि नामित करने थे । इनमें से मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, जिलाधिकारी देहरादून तथा पौडी द्वारा पूर्व में ही प्रतिनिधि नामित कर दिये गये । जिलाधिकारी टिहरी गढवाल द्वारा अपना प्रतिनिधि नामित नही किया हैं इस सम्बन्ध में उनसे पुनः अनुरोध किया गया है । प्रतिनिधि नामित होने के पश्चात् सुनवाई की कार्यवाही पूर्ण कर आख्या प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जायेगी ।
2	वर्ष 97-98 का प्रस्तावित बजट ।	विगत बैठक में बैठक की तिथि तक किये गये व्ययों का अनुमोदन किया गया तथा विभिन्न स्तर पर स्टाम्प ड्यूटी का अनुश्रवण किया जाय । बजट प्रस्तावों को री-कॉस्ट किया जाय ।	लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जा रही है । बजट प्रस्ताव को री-कॉस्ट किया गया है, जो मद सं0-25.03 पर पुनः विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

प्राधिकरण के कुछ सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि दरों को और अधिक व्यवहारिक बनाने के दृष्टिकोण से इसका पुनः परीक्षण किया जाना आवश्यक है। अतः निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष नगरपालिका परिषद्, हरिद्वार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाये जो इन दरों का पुनः परीक्षण करे। समिति के सदस्यगण नगर नियोजक तथा अधिशासी अभियन्ता, ह०वि०प्रा० होंगे। समिति द्वारा दरों के सम्बन्ध में आगामी बैठक में अपनी संस्तुति प्रस्तुत की जायेगी तब तक के लिए जो दरें अनुमोदित हैं वह लागू रहेंगी।

८. प्राधिकरण की विगत बैठक दिनाँक ०२–०८–९६ में यह निर्णय लिया गया था कि ऋषिकेश में विवादित खसरा संख्या ७४, ८४, २७६, २७९ तथा २९८ के सम्बन्ध में मानचित्र स्वीकृति की सम्बन्ध में जो प्रस्ताव अनुमोदित किया गया था वह उचित था किन्तु मानचित्र की स्वीकृति के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र उप–जिलाधिकारी के स्थान पर केवल जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से ही मान्य होगा।

मद संख्या (३): – वर्ष १९९७–९८ हेतु प्रस्तावित बजट का अनुमोदन : –

विगत बैठक में प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में सचिव द्वारा संशोधित बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। संयुक्त निदेशक, कोषागार द्वारा यह उल्लेख किया गया कि प्रस्तावित बजट में ओपनिंग बैलेन्स भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए। निर्णय लिया गया कि भविष्य में बजट प्रस्तुत करते हुए ओपनिंग बैलेन्स का उल्लेख किया जाये। विचार–विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से वर्ष ९७–९८ के लिए प्रस्तावित बजट का अनुमोदन प्रदान किया गया तथा दिनाँक ०७–०२–९८ तक जो व्यय किये गये हैं उनका भी अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या (४): – सन्त रघुवीर सिंह जी महाराज गुरूद्वारा निर्मल सन्तपुरा ट्रस्ट कनखल द्वारा प्रस्तुत मानचित्र सं० १४९/९७ के सम्बन्ध में : –

सन्त रघुवीर सिंह जी महाराज गुरूद्वारा निर्मल सन्तपुरा ट्रस्ट कनखल द्वारा मौहल्ला कनखल में २२७२.०९ वर्ग मीटर भूमि पर आवासीय प्रयोजन हेतु भवन मानचित्र सं० १४९/९७ प्राधिकरण कार्यालय में दिनाँक २–७–९७ को प्रस्तुत किया गया था। स्थल पर भूतल में बना भवन महायोजना लागू होने से पूर्व का है। आवेदक द्वारा प्रश्नगत् भवन के प्रथम तल पर आवासीय निर्माण हेतु अनुज्ञा चाही गयी है। हरिद्वार महायोजना के अनुसार स्थल का भू–उपयोग आंशिक रूप से आवासीय तथा शेष पार्क एवं खुले क्षेत्र के अन्तर्गत है। पूर्व में उक्त स्थल पर प्राधिकरण द्वारा दिनाँक ३–११–९५ का मानचित्र सं० ९७/९५ स्वीकृत किया गया था जिसमें भूतल पर पूर्व निर्मित भवन के ऊपर वह भाग जिसका भू–प्रयोग आवासीय है, में आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी तथा पूर्व निर्मित भवन के ऊपर वह भाग जिसका भू–प्रयोग पार्क एवं खुले क्षेत्र के अन्तर्गत है, निर्माण की अनुमति नहीं दी गयी थी। आवेदक द्वारा

(सचिव) (उपाध्यक्ष) (अध्यक्ष)

3	ग्राम हरिपुर कर्ता जिला देहरादून के खसरा नं0 781,784,340 नया गाटा सं0-785(क) का पार्क एवं स्कूल भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।	विगत वैठक में इस प्रकरण पर यह निर्णय लिया गया था कि ऋषिकेश महायोजना के अनुसार इसमें भी आपत्ति/सुझाव प्राप्त कर गठित समिति द्वारा सुनवाई की जाय और अपनी संस्तुति/आख्या आगामी वैठक में प्रस्तुत की जाय ।	निर्णयानुसार मद सं0-1 में गठित समिति द्वारा आपत्ति/सुझावों की सुनवाई के उपरान्त समिति की आख्या आगामी वोर्ड बैठक में प्रस्तुत की जायेगी ।
4	हरिद्वार महायोजना भाग-अ की विसंगतियों के सम्बन्ध में ।	नई वस्ती खडखडी, शान्तिकुंज के निकट वस अड्डा तथा विकास कालोनी की विसंगतियों के सम्बन्ध में सर्व सम्मति से प्रस्ताव पर सहमति दी गयी तथा भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किये जाने के आदेश दिये गये ।	निर्णयानुसार प्रस्ताव भू-उपयोग परिवर्तन हेतु शासन को सन्दर्भित कर दिया गया है ।
5	सरकारी विभागों पर आरोपित शुल्क को विलम्व से जमा करने के फलस्वरूप देय व्याज में छूट सम्वन्धी ।	विगत वैठक में यह निर्णय लिया गया था कि देय व्याज में छूट के सम्वन्ध में विभिन्न विकास प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त कर ली जाय एवं प्रकरण को आगामी वैठक में प्रस्तुत किया जाय ।	निर्णयानुसार विभिन्न विकास प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त की जा रही है । जानकारी प्राप्त होने पर प्रकरण पुनः प्राधिकरण की आगामी वैठक में प्रस्तुत किया जायगा ।

पुनः मानचित्र सं० १४६/९७ के माध्यम से पूर्व निर्मित भवन महायोजना लागू होने से पूर्व के प्रथम तल के इस भाग पर जिसका भू–प्रयोग पार्क एवं खुला क्षेत्र है, आवासीय भवन निर्माण की अनुमति चाही गयी है। इस निर्माण से भूतल पर कोई अतिरिक्त आच्छादन नहीं होगा। भूतल पर महायोजना लागू होने से पूर्व का भवन निर्माण होने के कारण प्रथम तल पर पार्क का विकास/निर्माण व्यावहारिक न होगा। मानचित्र महायोजना लागू होने से पूर्व भूतल पर निर्मित भवन में कोई अतिरिक्त आच्छादन भी प्रस्तावित नहीं है तथा भवन का उपयोग भी नहीं बदला जा रहा है।

विचार–विमर्श के बाद सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित मानचित्र को स्वीकृति प्रदान की जाये।

मद संख्या (५): – विकास एवं भवन अनुज्ञा तथा पर्यवेक्षण योजना तैयार करने हेतु तकनीकी व्यक्तियों के लाईसेंस शुल्क/नवीनीकरण शुल्क के पुर्ननिर्धारण के सम्बन्ध में विचार : –

प्राधिकरण में विकास एवं भवन अनुज्ञा तथा पर्यवेक्षण योजना तैयार किये जाने हेतु विभिन्न तकनीकी व्यक्तियों को एक पंचांग वर्ष हेतु लाइसेन्स दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष के उपरान्त उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण की संस्तुति पर इसका पुनः एक वर्ष हेतु नवीनीकरण किया जाता है। प्राधिकरण की १६वीं बोर्ड बैठक दिनाँक २६–०६–६४ में उपर्युक्त लाइसेन्स शुल्क तथा नवीनीकरण शुल्क का निर्धारण किया गया था। यह दरें काफी कम हैं तथा विगत तीन वर्षों से शुल्कों की दरों पुर्ननिर्धारण भी नहीं किया गया है, जबकि अन्य शुल्कों का पुर्ननिर्धारण किया जा चुका है। अतः उपर्युक्त शुल्क का निम्नानुसार पुर्न निर्धारण किया जाना प्रस्तावित किया गया : –

क्र० सं०	तकनीकी कार्मिक श्रेणी	वार्षिक अनुज्ञा शुल्क		अनुज्ञा नवीनीकरण शुल्क	
		वर्तमान में	प्रस्तावित	वर्तमान में	प्रस्तावित
१.	अभियन्ता/नगर नियोजक	२५०.००	१०००.००	२५०.००	५००.००
२.	अनुज्ञा प्राप्त मानचित्रकार	१००.००	४००.००	१००.००	२००.००
३.	अनुज्ञा प्राप्त समूह या एजेन्सी वास्तुविद के अतिरिक्त	२५०.००	१०००.००	२५०.००	५००.००

नवीनीकरण विलम्ब शुल्क पूर्व में रू० २५.०० प्रतिमाह निर्धारित था जिसे अब नवीनीकरण शुल्क का १० प्रतिशत प्रतिमाह की दर से लिया जाना प्रस्तावित है तथा इस हेतु लाईसेन्स वैधता अवधि की समाप्ति के पश्चात १५ दिन की ग्रेस अवधि भी मान्य होगी।

(सचिव) (उपाध्यक्ष) (अध्यक्ष)

13	अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ।	अध्यक्ष, :6: नगरपालिका हरिद्वार/ऋषिकेश एवं अध्यक्ष नगर पंचायत मुनि की रेती द्वारा दिये गये पत्रों के कम में निर्णय लिया गया था कि प्राधिकरण की प्रगति रिपोर्ट जिसमें विकास शुल्क से कराये जाने वाले कार्य भी सम्मिलित हों आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाँय ।	निर्णय के अनुसार प्राधिकरण की प्रगति रिपोर्ट दि0 31-01-98 तक जिसमें विकास शुल्क से कराये जाने वाले कार्य भी सम्मिलित है प्राधिकरण के समक्ष पृथक से विचारार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रस्तुत है ।

विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित सर्विस स्टेशन की कोई भी गतिविधि सड़क की ओर केन्द्रित होने की सम्भावना न हो तो इस मानचित्र को स्वीकृति प्रदान कर दी जाये।

विषय कमांक ६ : –

सचिव द्वारा वर्ष १९९७–९८ की प्रगति रिपोर्ट प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गयी। विचार–विमर्श के उपरान्त निम्न निर्णय लिये गये : –

१. प्राधिकरण की योजनाओं के सम्बन्ध में यह जानकारी सभी सदस्यों को योजनावार उपलब्ध कराई जाये कि योजना में कुल कितने भूखण्ड हैं, कितने भूखण्डों पर निर्माण पूर्ण हो चुका है, कितने भूखण्डों/भवनों का आवंटन हो चुका है, आवंटियों पर कितनी धनराशि की देयता थी तथा उनके द्वारा कितना भुगतान किया जा चुका है तथा कितने आवंटियों द्वारा कब्जा प्राप्त कर लिया गया है तथा कितनी सम्पत्तियां किन योजनाओं में खाली हैं। इस सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्य एवं पूर्ति की स्थिति से सभी सदस्यों को अवगत कराया जाये।

२. सड़कों एवं नालों इत्यादि के निर्माण के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि ऐसे प्रकरणों का उपाध्यक्ष स्तर से परीक्षण करके आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

३. यह भी निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित पार्कों का सर्वे कर लिया जाये तथा यह जानकारी कर ली जाये कि कितने पार्क प्राधिकरण क्षेत्र में है, उनमें से कितनों का रख–रखाव नगरपालिका द्वारा किया जा सकता है तथा विकास प्राधिकरण के संशाधनों का प्रयोग कितने पार्कों के रख–रखाव के लिए सम्भव है। इसके सम्बन्ध में आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

अन्त में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(राजकुमार सिंह)
सचिव

(जे०पी० शर्मा)
उपाध्यक्ष

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष

C:\SUNIL\SU FM5

मद संख्या 25.04

विषय सन्त रघुवीर सिंह जी महाराज गुरूद्वारा निर्मल सन्तपुरा ट्रस्ट कनखल द्वारा प्रस्तुत मानचित्र सं0 149/97 के सम्बन्ध में ।

सन्त रघुवीर सिंह जी महाराज गुरूद्वारा निर्मल सन्तपुरा ट्रस्ट कनखल द्वारा मौहल्ला कनखल में 2272.09वर्ग मीटर भूमि पर आवासीय प्रयोजन हेतु भवन मानचित्र सं0-149/97 प्राधिकरण कार्यालय में दि0 2-7-97 को प्रस्तुत किया गया था । स्थल पर भूतल में बना भवन महायोजना लागू होने से पूर्व का है । आवेदक द्वारा प्रश्नगत भवन के प्रथम तल पर आवासीय निर्माण हेतु अनुज्ञा चाही गयी है । हरिद्वार महायोजना के अनुसार स्थल का भू-उपयोग आंशिक रूप से आवासीय तथा शेष पार्क एवं खुले क्षेत्र के अन्तर्गत है । पूर्व में उक्त स्थल पर प्राधिकरण द्वारा दि0 3-11-95 को मानचित्र सं0-67/95 स्वीकृत किया गया था जिसमें भूतल पर पूर्व निर्मित भवन के ऊपर वह भाग जिसका भू-प्रयोग आवासीय है, में आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी तथा पूर्व निर्मित भवन के ऊपर वह भाग जिसका भू-प्रयोग पार्क एवं खुले क्षेत्र के अन्तर्गत है, निर्माण की अनुमति नही दी गयी थी । आवेदक द्वारा पुनः मानचित्र सं0-149/97 के माध्यम से पूर्व निर्मित भवन महायोजना लागू होने से पूर्व के प्रथम तल के इस भाग पर जिसका भू-प्रयोग पार्क एवं खुला क्षेत्र है, आवासीय भवन निर्माण की अनुमति चाही गयी है । इस निर्माण से भूतल पर कोई अतिरिक्त आच्छादन नही होगा । भूतल पर महायोजना लागू होने से पूर्व का भवन निर्माण होने के कारण प्रथम तल पर पार्क का विकास/निर्माण व्यावहारिक न होगा । मानचित्र महायोजना लागू होने से पूर्व भूतल पर निर्मित भवन में कोई अतिरिक्त आच्छादन भी प्रस्तावित नही है तथा भवन का उपयोग भी नहीं बदला जा रहा है ।

अतः प्रकरण विगत बैठक दि0 22-8-97 के निर्णयानुसार पुनः विचारार्थ प्रस्तुत है ।

मद संख्या 25.05

विषय विकास एवं भवन अनुज्ञा तथा पर्यवेक्षण योजना तैयार करने हेतु तकनीकी व्यक्तियों के लाईसेंस शुल्क/नवीनीकरण शुल्क के पुर्ननिर्धारण के सम्बन्ध में विचार ।

प्राधिकरण में विकास एवं भवन अनुज्ञा तथा पर्यवेक्षण योजना तैयार किये जाने हेतु विभिन्न तकनीकी व्यक्तियों को एक पंचांग वर्ष हेतु लाइसेन्स दिया जाता है । प्रत्येक वर्ष के उपरान्त उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण की संस्तुति पर इसका पुनः एक वर्ष हेतु नवीनीकरण किया जाता है । प्राधिकरण की 19वीं बोर्ड बैठक दि0 29-9-94 में उपर्युक्त लाइसेन्स शुल्क तथा नवीनीकरण शुल्क का निर्धारण किया गया था । यह दरें काफी कम है तथा विगत तीन वर्षो से शुल्कों की दरों का पुर्ननिर्धारण भी नहीं किया गया है, जबकि अन्य शुल्कों का पुर्ननिर्धारण किया जा चुका है । अतः उपर्युक्त शुल्क का निम्नानुसार पुर्न निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है ।

क.सं.	तकनीकी कार्मिक श्रेणी	वार्षिक अनुज्ञा शुल्क		अनुज्ञा नवीनीकरण शुल्क	
		वर्तमान में	प्रस्तावित	वर्तमान में	प्रस्तावित
1	अभियन्ता/नगर नियोजक	250.00	1000.00	250.00	500.00
2	अनुज्ञा प्राप्त मानचित्रकार	100.00	400.00	100.00	200.00
3	अनुज्ञा प्राप्त समूह या एजेन्सी वास्तुविद के अतिरिक्त	250.00	1000.00	250.00	500.00

नवीनीकरण विलम्ब शुल्क पूर्व में रू0 25.00 प्रति माह निर्धारित था जिसे अब नवीनीकरण शुल्क का 10 प्रतिशत- प्रति माह की दर से लिया जाना प्रस्तावित है तथा इस हेतु लाईसेन्स वैधता अवधि की समाप्ति की पश्चात 15 दिन की ग्रेस अवधि भी मान्य [illegible]

अतः प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्र[illegible] है ।

मद संख्या 25.07 ::।:

विषय प्राधिकरण में वाहन चालकों के पदों के सृजन के सम्बन्ध में विचार ।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार में वर्तमान में जे0सी0बी0सहित कुल 6 वाहन हैं जबकि मात्र तीन चालक नियमित हैं तथा एक वर्कचार्ज के रूप में कार्यरत है । शासनादेश सं0-4417/9आ-5-96 दिनांक 8-11-96 के द्वारा नई नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध है । प्राधिकरण में दिन-प्रतिदिन कार्यों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए वाहनों की आवश्यकता है, जिनके लिए वाहन चालकों की नियुक्तियाँ की जानी आवश्यक है ।

अतः प्रस्ताव है कि तीन वाहन चालकों के पदों का प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर दिया जाय तथा पदसृजन की प्रत्याशा में दो दैनिक/वर्कचार्ज वाहन चालकों की तैनाती अन्य विकास प्राधिकरणों से नाम आमन्त्रित कर अनुभवी एवं योग्य चालक की तैनाती कर ली जाय । अतः उपर्युक्त के अनुसार तीन वाहन चालकों के पद सृजन एवं वर्कचार्ज/दैनिक वेतन पर नियुक्ति किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।